रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-एम.एच.-अ.-15062021-227641
CG-MH-E-15062021-227641

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 232]	नई दिल्ली, शुक्रवार, जून 11, 2021/ज्येष्ठ 21, 1943	
No. 232]	NEW DELHI, FRIDAY, JUNE 11, 2021/JYAISTHA 21, 1943	

महापत्तन प्रशुल्क प्राधिकरण

अधिसूचना

मुम्बई, 13 मई, 2021

संख्या टीएएमपी/69/2016-एनएमपीटी.—महापत्तन न्यास अधिनियम 1963 (1963 का 38) की धारा 48 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए महापत्तन प्रशुल्क प्राधिकरण, न्यू मंगलोर पत्तन न्यास (एनएमपीटी) के स्टीवडोरिंग और तट प्रहस्तन परिचालनों तथा निष्पादन मानकों का इस प्राधिकरण द्वारा 19 मार्च, 2018 के आदेश संख्या टीएएमपी/69/2016-एनएमपीटी द्वारा अनुमोदित वर्तमान अपफ्रंट प्रशुल्क की वैधता का विस्तार, इसके साथ संलग्न आदेश के अनुसार, करता है।

महापत्तन प्रशुल्क प्राधिकरण

संख्या. टीएएमपी/69/2016-एनएमपीटी

न्यू मंगलोर पत्तन न्यास --- **आवेदक**

<u>गणपूर्ति</u>

(i) **श्री टी.एस. बालसुब्रमनियन, सदस्य (वित्त)**

(ii) **श्री सुनील कुमार सिंह, सदस्य (आर्थिक)**

आदेश

(मई, 2021 के 13वें दिन पारित)

मामला न्यू मंगलोर पत्तन न्यास (एनएमपीटी) से उनके स्टीवडोरिंग और तट प्रहस्तन परिचालनों तथा निष्पादन मानकों के वर्तमान अपफ्रंट प्रशुल्क की वैधता के विस्तार के लिये प्राप्त प्रस्ताव से संबंधित है।

2. इस प्राधिकरण ने पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय द्वारा जारी स्टीवडोरिंग और तट प्रहस्तन दिशानिर्देशों का अनुपालन करते हुए, एनएमपीटी के प्रास्ताव के आधार पर, और हितधारकों के साथ विधिवत परामर्शी प्रक्रिया करके तथा संयुक्त सुनवाई की प्रक्रिया अपनाते हुए एनएमपीटी के स्टीवडोरिंग और तट प्रहस्तन परिचालनों तथा निष्पादन मनकों की वर्तमान अपफ्रंट प्रशुल्क अनुसूची इस प्राधिकरण द्वारा 19 मार्च, 2018 के आदेश संख्या टीएएमपी/69/2016-एनएमपीटी के द्वारा अनुमोदित किये गए थे। उक्त आदेश भारत के राजपत्र में 25 मई 2018 के राजपत्र सं. 195 में अधिसूचित हुआ था। अधिसूचित आदेश 23 जून 2018 से प्रभावी हुए थे और उनकी वैधता अवधि 3 वर्ष के लिये, अर्थात 22 जून 2021 तक, थी।

3.1. एनएमपीटी ने अपने 11 मार्च, 2021 के ई-मेल के द्वारा अपने 09 मार्च, 2021 के पत्र संख्या एनएमपीटी/टीएम/टीएएमपी/2020-21 की प्राति भेजते हुए इस प्राधिकरण द्वारा निर्धारित दरों की वैधता को और 3 वर्ष की अवधि के लिये बढाने के अनुरोध किया।

3.2. एनएमपीटी द्वारा एनएमपीटी के स्टीवडोरिंग और तट प्रहस्तन परिचालनों तथा निष्पादन मानकों की वर्तमान अनुसूची की वैधता का विस्तार चाहने के लिये किये गये मुख्य निवेदनों का सारांश इस प्रकार है:

(i) एनएमपीटी के स्टीवडोरिंग और तट प्रहस्तन परिचालनों तथा निष्पादन मानकों की वर्तमान अपफ्रंट प्रशुल्क अनुसूची इस प्राधिकरण द्वारा 19 मार्च 2018 के आदेश संख्या टीएएमपी/69/2016-एनएमपीटी के द्वारा अनुमोदित की गयी थी जो भारत के राजपत्र में 25 मई 2018 को अधिसूचित हुई और 23 जून 2018 से प्रभावी हुई तथा 22 जून 2021 तक प्रभावी है।

(ii) प्राधिकरण द्वारा अनुमोदित अपफ्रंट प्रशुल्क पत्तन प्रयोक्ताओं को 07 जून, 2018 की व्यापार सूचना संख्या 53/2/2017/टीजीए.4 के द्वारा परिचालित किये गये थे।

(iii) स्टीवडोरिंग और तट प्रहस्तन दिशानिर्देशों के खंड 2.3 के अनुसार किसी एक पत्तन की विभिन्न वस्तुओं के लिये स्टीवडोरिंग और तट प्रहस्तन परिचालनों के लिये एक बार अपफ्रंट प्रशुल्क सीमा नियत कर दिये जाने पर यह उस पूरे पत्तन के लिए एक समान रूप से लागू होगी जहाँ विभिन्न निजी एजेंसियों अथवा फर्मों द्वारा स्टीवडोरिंग और तट प्रहस्तन परिचालन किये जाते हैं और यह तीन वर्षों की अवधि के लिये लागू रहेगी।

(iv) चूंकि, एनएमपीटी में स्टीवडोरिंग और तट प्रहस्तन परिचालन अपफ्रंट प्रशुल्क 23 जून 2018 से लागू हैं और 3 वर्ष के लिये वैध हैं और अपफ्रंट प्रशुल्क की वैधता 22 जून, 2021 को समाप्त हो रही है। इसलिये, अपफ्रंट प्रशुल्क के संशोधन के लिये एनएमपीटी में स्टीवडोर और तट प्रहस्तन एजेंटों के साथ 05 फरवरी, 2021 को एक बैठक का आयोजन किया गया जिसमें न्यू मंगलोर पत्तन न्यास स्टीवडोर एसोसिएशन के प्रेजिडेंट ने सूचित किया कि कोयला प्रहस्तन के मशीनीकरण के कारण एनएमपीटी में स्टीवडोरों की भूमिका काफी कम हो गयी है। उन्होंने यह भी बताया कि कंटेनर प्रहस्तन परिचालन के मशीनीकरण के साथ, इस वर्ष के अंत तक स्टीवडोरिंग और तट प्रहस्तन कार्यकलाप और कम हो जायेंगे। अत: उन्होंने अनुरोध किया कि वर्तमान अपफ्रंट प्रशुल्क को जारी रखने का अनुरोध किया जिसे अगले 3 वर्ष की अवधि के लिये जारी रखा जा सकता है। 05 फरवरी, 2021 को आयोजित बैठक के कार्यवृत प्रेषित किये जाते हैं।

(v) इसके अतिरिक्त, पिछले 3 वर्षों में स्टीवडोर और तट प्रहस्तन एजेंटों द्वारा प्रहस्तित कार्गो की मात्रा नीचे प्रस्तुत की जा रही है:

क्रम संख्या	वित्त वर्ष	कार्गो प्रहस्तित करने वाले स्टीवडोर और तट प्रहस्तन एजेंटों की संख्या	प्रहस्तित पोतों की संख्या	टनभार एमटी में
(i)	2018-19	18	465	98,00,846
(ii)	2019-20	17	397	67,72,781
(iii)	2020-21 (फरवरी 2021 तक)	9	306	47,07,082
	योग		**1168**	**2,12,80,709**

(vi) उक्त सारणी से यह देखा जा सकता है कि एनएमपीटी के कार्गो प्रहस्तन में स्टीवडोरिंग और तट प्रहस्तन एजेंटों की भूमिका 2018-19 में 10 एमएमटी से काफी घट कर 2020-21 में 5 एमएमटी (लगभग) रह गया है। हो रहे भारी कार्गो प्रहस्तन के मशीनीकरण के कारण यह 2021 के अंत तक और घटकर 2 एमएमटी हो जायेगा।

(vii) स्टीवडोरिंग और तट प्रहस्तन एजेंटों के अनुरोध पर सुविचार करते हुए, जैसा ऊपर बताया गया है, मौजूदा दरमानों को जारी रखने का प्रस्ताव किया जाता है अर्थात 23 जून 2021 से 3 वर्ष की और अवधि के लिये एनएमपीटी में मौजूदा निष्पादन मानकों सहित स्टीवडोरिंग और तट प्रहस्तन सेवाओं के अपफ्रंट प्रशुल्क जारी रखे जायें। स्टीवडोरिंग और तट प्रहस्तन सेवाओं के अपफ्रंट प्रशुल्क की मौजूदा दरें प्रस्तुत हैं।

(viii) उपरोक्त को देखते हुए, प्राधिकरण से एनएमपीटी में स्टीवडोरिंग और तट प्रहस्तन सेवाओं के मौजूदा अपफ्रंट प्रशुल्क तथा निष्पादन मानक 23 जून 2021 से 3 वर्ष की और अवधि के लिये जारी रखने के प्रस्ताव को अनुमोदित करने का अनुरोध किया जाता है।

4.1 इसके अतिरिक्त, एनएमपीटी ने 22 अप्रैल, 2021 के अपने ई-मेल द्वारा 29 मार्च, 2021 को हुई एनएमपीटी के न्यासी मंडल की 7वीं आम सभा की कार्यसूची और कार्यवृत की एक प्रति भेजी है जिसमें इस विषय पर चर्चा की गयी और इसे संकल्प संख्या रेजो संख्या/181/2020-21 के द्वारा अनुमोदित किया गया। एनएमपीटी का न्यासी मंडल यह संकल्प करता है कि:

(i) स्टीवडोरिंग और तट प्रहस्तन सेवाओं के मौजूदा अपफ्रंट प्रशुल्क तथा मौजूदा निष्पादन मानकों को और 3 वर्ष की अवधि के लिये जारी रखने का अनुमोदन किया जाता है।

(ii) प्राधिकरण को प्रस्ताव प्रस्तुत करने के लिये की गयी कार्रवाई कि अभिपुष्टि की जाती है।

4.2. इसलिये, एनएमपीटी ने एनएमपीटी में स्टीवडोरिंग और तट प्रहस्तन सेवाओं के मौजूदा अपफ्रंट प्रशुल्क तथा निष्पादन मानक 23 जून 2021 से 3 वर्ष की और अवधि के लिये जारी रखने के प्रस्ताव को अनुमोदित करने का अनुरोध किया है।

5. एनएमपीटी में स्टीवडोरिंग और तट प्रहस्तन परिचालन की मौजूदा अपफ्रंट प्रशुल्क और निष्पादन मानकों अनुसूची की वैधता 22 जून, 2021 को समाप्त हो जायेगी। एनएमपीटी द्वारा किये गये निवेदनों के आधार पर, जो एनएमपीटी ने स्टीवडोर और तट प्रहस्तन एजेंटों के विचार प्राप्त करने के पश्चात तैयार किये है, और एनएमपीटी तथा संबंधित हितधारकों के बीच मौजूदा अपफ्रंट प्रशुल्क को इसकी समाप्ति से 3 वर्ष के लिये बढा दिये जाने पर बनी सहमति को देखते हुए और कि उक्त प्रस्ताव एनएमपीटी के न्यासी मंडल द्वारा अनुमोदित है, इस प्राधिकरण द्वारा 19 मार्च, 2018 के आदेश संख्या टीएएमपी/69/2016-एनएमपीटी के द्वारा एनएमपीटी के स्टीवडोरिंग और तट प्रहस्तन परिचालनों तथा निष्पादन मनकों की वर्तमान अपफ्रंट प्रशुल्क अनुसूची की वैधता को यह प्राधिकरण इसकी समाप्ति की तारीख से और 3 वर्ष कि अवधि के लिये यानी 22 जून, 2024 तक, बढाने को प्रवृत्त है।

6. परिणाम में और सामूहिक विचार विमर्श के उपरांत-तथा ऊपर बताये गए कारणों से यह प्राधिकरण इस प्राधिकरण द्वारा मार्च 19, के आदेश संख्या 2018 टीएएमपी/69/2016-एनएमपीटी के द्वारा एनएमपीटी के स्टीवडोरिंग और तट प्रहस्तन परिचालनों तथा निष्पादन मनकों की वर्तमान अपफ्रंट प्रशुल्क अनुसूची की वैधता को इसकी समाप्ति की तारीख से और 3 वर्ष कि अवधि के लिये यानी 22 जून, 2024 तक, विस्तार करता है।

टी. एस. बालसुब्रमनियन सदस्य (वित्त)
[विज्ञापन-III/4/असा. /93/2021-22]

TARIFF AUTHORITY FOR MAJOR PORTS

NOTIFICATION

Mumbai, the 13th May, 2021

No.TAMP/69/2016-NMPT.—In exercise of the powers conferred by Section 48 of the Major Port Trusts Act, 1963 (38 of 1963), the Tariff Authority for Major Ports hereby extends the validity of the existing schedule of Upfront tariff for Stevedoring and Shore Handling Charges and the Performance Standards of the New Mangalore Port Trust (NMPT) approved by this Authority vide earlier Order No.TAMP/69/2016-NMPT dated 19 March 2018 as in the Order appended hereto.

TARIFF AUTHORITY FOR MAJOR PORTS

Case No.TAMP/69/2016-NMPT

New Mangalore Port Trust - - - Applicant

QUORUM

(i) Shri. T.S. Balasubramanian, Member (Finance)

(ii) Shri. Sunil Kumar Singh, Member (Economic)

ORDER

(Passed on this 13th day of May 2021)

This case relates to a proposal filed by New Mangalore Port Trust (NMPT) for extension of the validity of the existing schedule of Upfront tariff for Stevedoring and Shore Handling Charges and the Performance Standards of the NMPT.

2. This Authority vide its Order No.TAMP/69/2016-NMPT dated 19 March 2018 has, based on the proposal of NMPT and after following due consultation process with stakeholders and after holding joint hearing, approved the schedule of Upfront Tariff for Stevedoring and Shore Handling operations and Performance Standards for NMPT following the Stevedoring and Shore Handling Guidelines issued by the Ministry of Ports, Shipping and Waterways. This Order was notified in the Gazette of India on 25 May 2018 vide Gazette No.195. The notified Order came into effect from 23 June 2018 and validity was prescribed for a period of 3 years i.e. 22 June 2021.

3.1. The NMPT vide its e-mail dated 11 March 2021 has forwarded its letter No.NMPT/TM/TAMP/2020-21 dated 09 March 2021 requesting to extend the validity of rates fixed by this Authority for a further period of 3 years.

3.2. The main submissions made by the NMPT for seeking of extension of the validity of the existing schedule of Upfront tariff for Stevedoring and Shore Handling Charges and the Performance Standards of the NMPT are summarised below:

(i) The TAMP vide Order No.TAMP/69/2016-NMPT dated 19 March 2018 approved schedule of upfront stevedoring and shore handling charges alongwith performance standards for NMPT which

was notified in Gazette of India on 25 May 2018 and came into force from 23 June 2018 which is valid till 22 June 2021.

(ii) The Upfront Tariff approved by TAMP was circulated to Port Users vide Trade Notice No.53/2/2017/TGA.4 dated 07 June 2018.

(iii) As per Clause 2.3 of the Stevedoring and Shore handling Guidelines, once the upfront tariff caps are set out for Stevedoring and Shore Handling operations of various commodities for a port, it will be applicable uniformly to the entire port where the Stevedoring and Shore Handling operations are carried out by private agencies or firm and this will be valid for a period of three years.

(iv) As the Upfront tariff for Stevedores and Shore Handling operations at NMPT came into force from 23 June 2018 and valid for 3 years, the validity of the upfront tariff will expire on 22 June 2021. As such to know the views of Stevedores and Shore Handling Agents operating at NMPT on revision of Upfront Tariff, a meeting was held on 05 February 2021 with the Stevedores and Shore Handling Agents wherein the President of New Mangalore Port Trust Stevedores Association informed that due to mechanisation of coal handling, the role of Stevedores in NMPT has been reduced significantly. They also stated that by the mechanisation of container handling operation, stevedoring and shore handling activities will be further reduced by end of this year. Hence, they requested for no change in the existing upfront tariff which may be continued for further next 3 years. The minutes of the meeting dated 05 February 2021 is furnished.

(v) Further, the volume of cargo handled by the Stevedoring and Shore Handling Agents during the last 3 years is furnished as below:

Sr. No.	Financial Year	No. of Stevedoring and Shore Handling Agents handled cargo	No. of vessels handled	Tonnage in MT
(i)	2018-19	18	465	98,00,846
(ii)	2019-20	17	397	67,72,781
(iii)	2020-21 (upto Feb 2021)	9	306	47,07,082
	Total		**1168**	**2,12,80,709**

(vi) It may be seen from the above table that the involvement of Stevedoring and Shore Handling Agents in handling cargo at NMPT has been significantly reduced from about 10 MMT in 2018-19 to 5 MMT in 2020-21 (approx.) due to mechanisation of major cargo. It will further reduce by 2 MMT by the end of the year 2021 due to upcoming mechanisation of container handling.

(vii) Considering the request of the Stevedoring and Shore Handling Agents as enumerated above, it is proposed to continue the existing SOR i.e. Upfront tariff for Stevedoring and Shore Handling Services as NMPT with the existing Performance Standards for a further period of 3 years w.e.f. 23 June 2021. The existing schedule of Upfront Tariff for Stevedoring and Shore Handling Services is furnished.

(viii) In view of the above TAMP may kindly approve the proposal to continue with the existing Upfront Tariff and Performance Standards for Stevedoring and Shore Handling Services at NMPT for a period of 3 years from 23 June 2021.

4.1. Further, the NMPT vide its e-mail dated 22 April 2021 has forwarded the copy of the agenda and Minutes of 7th Ordinary Meeting of the Board of the Trustees of NMPT held on 29 March 2021 wherein the subject matter was discussed and approved vide Resolution No.RESO No.181/2020-21. The Board of the Trustees of NMPT has resolved to:

(i) Approve continuation of the existing upfront tariff and the existing performance standards for Stevedoring and Shore handling services at NMPT for a further period of 3 years.

(ii) Ratify the action taken to submit the proposal to TAMP.

4.2. Hence, the NMPT has requested to approve the proposal to continue the existing upfront tariff and performance standard for Stevedoring and Shore Handling Services at NMPT for a further period of 3 years from 23 June 2021.

5. The validity of the existing schedule of Upfront tariff for Stevedoring and Shore Handling Charges and the Performance Standards of the NMPT will expire on 22 June 2021. Based on the submissions made by the NMPT

which is after eliciting the views of Stevedores and Shore Handling Agents by the NMPT and there is an agreement between the NMPT and the concerned stakeholders for extension of the existing upfront tariff for 3 years beyond its expiry and also the said proposal is approved by the Board of Trustees of the NMPT, this Authority in inclined to extend the validity of the existing schedule of Upfront tariff for Stevedoring and Shore Handling Charges and the Performance Standards of NMPT approved by this Authority vide Order No.TAMP/69/2016-NMPT dated 19 March 2018 from the date of its expiry for a period of three years i.e. till 22 June 2024.

6. In the result, and for the reasons given above, and based on a collective application of mind, this Authority extends the validity of the existing schedule of Upfront tariff for Stevedoring and Shore Handling Charges and the Performance Standards of NMPT approved by this Authority vide Order No.TAMP/69/2016-NMPT dated 19 March 2018 from the date of its expiry for a period of three years i.e. till 22 June 2024. The validity shall automatically lapse thereafter unless specifically extended by this Authority.

T. S. BALASUBRAMANIAN, Member (Finance)

[ADVT.-III/4/Exty./93/2021-22]

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.
SURENDER MAHADASAM Digitally signed by SURENDER MAHADASAM Date: 2021.06.15 21:56:38 +05'30'